बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

आदेश

आदेश संख्या–01/स्था0 (विविध)–30/2018 3725 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक–17/07/18

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 323 दिनांक 21.06.2018 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित पदाधिकारीगण को निम्नवत् आदेश दिया जाता है :–

1. विभाग में पदस्थापित पदाधिकारीगण, सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को मुख्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे तथा सप्ताह के शेष दिन विभागीय आदेश संख्या 3547 दिनांक 06.07.2018 द्वारा आवंटित जिला के नगर निकायों का क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त पदाधिकारीगण जिस योजना को देखते हैं, उससे संबंधित मामले को अन्य जिलों में भी क्षेत्र भ्रमण कर देखेंगे।

2. क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के टोलों का भ्रमण अवश्य करेंगे तथा भ्रमण से लौटने पर दो दिनों के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। क्षेत्र भ्रमण के 2 दिन पूर्व भ्रमण कार्यक्रम की सूचना प्रधान सचिव कोषांग को उपलब्ध करायेंगे।

3. समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन को विभागीय वेवसाईट पर भी अपलोड किया जायेगा।

4. कंडिका 1 एवं 2 के अनुपालन के क्रम में निम्न रोस्टर अनुसार बुधवार एवं वृहस्पतिवार को विभाग के एक वरीय एवं कनीय पदाधिकारी मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे :–

क्र0	साप्ताहिक रोस्टर	वरीय पदाधिकारी का नाम	कनीय पदाधिकारी का नाम
1	माह का प्रथम बुधवार	श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव	श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी
2	माह का प्रथम वृहस्पतिवार	श्री भरत झा, निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–अपर सचिव।	श्री कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, उप सचिव।
3	माह का द्वितीय बुधवार	श्री संजय दयाल,विशेष सचिव	श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता
4	माह का द्वितीय वृहस्पतिवार	श्री संजय कुमार, विशेष सचिव।	श्री अनिल कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियंता
5	माह का तृतीय बुधवार	श्री विनोदानन्द झा, उप निदेशक–सह–अपर सचिव।	श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता
6	माह का तृतीय वृहस्पतिवार	श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव।	श्री शंकर भगवान प्रसाद, सहायक अभियंता
7	माह का चतुर्थ बुधवार	श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता	श्री कुमार अभिषेक, सहायक अभियंता
8	माह का चतुर्थ वृहस्पतिवार	श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता	श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता

3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

4. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–30/2018 3725 /न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 17/07/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/बिहार राज्य जल पर्षद/बिहार राज्य आवास बोर्ड/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 17/7/18